

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

कमांक:—स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 2652 / 2022

दिनांक : 02.09.2022

डॉ. नीरू सोनी (RJ1097), अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट कम-01, धौलपुर को दिनांक 10.10.2022 से 07.04.2023 तक 180 दिवस का मातृत्व अवकाश (प्रथम संतान) दिनांक 08.10.2022 से 09.10.2022 एवं 08.04.2023 से 09.04.2023 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

सुश्री राघवी गोविल (RJ1267), अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट कम-02, धौलपुर को डॉ. नीरू सोनी के उक्त मातृत्व अवकाश की अवधि के दौरान अपने पद के कार्य के साथ-साथ अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट कम-01, धौलपुर के पद का अतिरिक्त कार्यभार सम्पादित किये जाने हेतु एतद्वारा पदस्थापित/नियुक्त कर निम्नलिखित निर्देश दिये जाते हैं:-

1. ऐसे प्रकरण जिनमें अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है एवं उच्चतर न्यायालयों द्वारा समयबद्ध निस्तारण के आदेश पारित है, का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जावे।
2. सुश्री राघवी गोविल (RJ1267), जिनको अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट कम-01, धौलपुर के अतिरिक्त कार्यभार के लिए नियुक्त किया गया है, को उक्त न्यायालय के कार्य का निस्तारण निर्धारित मापदण्ड के अनुसार कम से कम 40% किया जाना आवश्यक है।

आज्ञा से,
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण) 02.09.2022

कमांक:—स्था.बी.2 (4)/85/2016/ 6098

दिनांक 02.09.2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, धौलपुर को उनके पत्रांक 2854 दिनांक 16.08.2022 के सन्दर्भ में।
3. डॉ. नीरू सोनी (RJ1097), अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट कम-01, धौलपुर।
4. अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट कम-01, धौलपुर।
5. सुश्री राघवी गोविल (RJ1267), अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट कम-02, धौलपुर।
6. अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट कम-02, धौलपुर।
7. संबंधित कोषालय।
8. संबंधित लिपिक/स्थानान्तरण-पदस्थापन लिपिक, आर. जे. एस. (स्था.) शाखा रा. उ.न्या., जोधपुर।

2.9.2022
सहायक रजिस्ट्रार